न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी—श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या— 68 / 2021
निर्णय दिनांक — 17.05.2024
GCMS No.- 2021/101

रामचन्द्र पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी गोविन्दपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
..................वादी

बनाम

1 कानाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी गोविन्दपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2 रामेश्वर पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी गोविन्दपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
3 रामस्वरूप पुत्र पोखरराम जाति जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी गोविन्दपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
4 सुप्यार पुत्री पोखरराम पत्नी दोलाराम डूकिया जाति जाट निवासीनी ग्राम ढ़ाणी गोविन्दपुरा हाल निवासीनी ग्राम भीमसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
5 होलासराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढ़ाणी गोविन्दपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
6 सुरेश पुत्र रूघाराम (माता राजू पुत्री खुमाराम निवासी ढ़ाणी गोविन्दपुरा) जाति जाट निवासी ग्राम मरड़ाटू तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
7 संतोष पत्नी भंवरलाल जाखड़ (माता राजू पुत्री खुमाराम निवासी ढ़ाणी गोविन्दपुरा) जाति जाट निवासीनी ग्राम बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
8 रामदेवी पत्नी सुखदेव (माता राजू पुत्री खुमाराम निवासी ढ़ाणी गोविन्दपुरा) जाति जाट निवासीनी ग्राम बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
9 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ (चूरू)
.......प्रतिवादीगण

दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु

उपस्थितः—
1. श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।
3. प्रतिवादी संख्या 10 राज पैरोकार उपस्थित।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला—चूरू)

—: निर्णय :—

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग का खेत खसरा संख्या 1381 / 207 रकबा 10.3626 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ढ़ाणी गोविन्दपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादगत भूमि में वादी का 60 / 1639 हिस्सा नियत है। जिसके विभाजन हेतु वादी ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, कब्जा व

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस एकपक्षीय विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 1381/207 रकबा 10.3626 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ढ़ाणी गोविन्दपुरा तहसील सुजानगढ़ में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भी वादी उतने ही हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 1381/207 रकबा 10.3626 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ढ़ाणी गोविन्दपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादी का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1381/207 मिन रकबा 0.3793 हैक्टेयर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़(चूरू)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

रामचन्द्र बनाम कानाराम आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 68 सन 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु एड़, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 1381/207 रकबा 10.3626 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ढ़ाणी गोविन्दपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादी का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1381/207 मिन रकबा 0.3793 हैक्टेयर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना–अपना स्वयं वहन करें। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज... मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **17 माह 05 2024**

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू)

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनतानाव कीलपर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़